



Case No. 25/2024

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/ATY-333/JH/12/2022-APCR-RU-IV
NCST/DEV-1308/JH/12/2023-ESDW-RU-IV

दिनांक : 18.12.2024

श्रीमती रीशमा रमेशन
पुलिस अधीक्षक
जिला - पलामू
एस.पी. कार्यालय पलामू
कचेरी रोड, डाल्टेनगंज, मेदिनीनगर,
झारखंड - 822101
E.mail : sp-pal@nic.in.

श्री शशि रंजन
उपायुक्त
जिला - पलामू
जिला समाहरणालय भवन, मेदि
पलामू(822101), झारखंड
dc-pal@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकडा के समक्ष दिनांक 27/12/2024 को 12:00 Noon बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबन्धित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।


मामलों का संदर्भ :-

संदर्भ 1 अनुसूचित जनजाति व्यक्ति पर गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों द्वारा शारीरिक हमला करने, जातिगत गाली गलोच करने एवं पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने के बारे में श्री सुरेन्द्र परहीया जिला पलामू, झारखंड का अभ्यावेदन

संदर्भ 2 आयोग का पत्र दिनांक 18.12.2024

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 18/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।


हस्ताक्षर



न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003